न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी – विनोद कुमार, आर0 जे0 एस0

निर्णय दिनांक – 19 मार्च 2026

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या – 112/2019

सीआईएस नंबर – 112/2019

सी एन आर नंबर – RJJH070001772019

राजस्थान राज्य बनाम लालचंद वगैरह

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या –02/2019, पुलिस थाना खेतड़ी
अपराध अन्तर्गत धारा–341, 323, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	विनोद पुत्र प्रभुदयाल धानक, निवास शिमला खेतडी जिला झुन्झुनूं राज0
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. श्री लालचंद पुत्र श्री रामनारायण उम्र 60 साल निवासी शिमला थाना खेतडी झुंझनु जिला झुन्झुनूं (राज0) 2. श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री लालचंद उम्र 50 साल निवासी शिमला थाना खेतडी जिला झुंझुनू राज.
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री शीशराम सैनी

B

अपराध की दिनांक	31.12.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01.01.2018
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	08.02.2019
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	25.04.2019
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	11.07.2019
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	19.03.2026
निर्णय दिनांक	19.03.2026

C

अभियुक्त का विवरण

क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	लालचंद			323, 341, 325/34 भा दं सं	दोषमुक्त	–	–
02	बाला देवी			323, 341, 325/34 भा दं सं	दोषमुक्त	–	–

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी0डब्ल्यू 01	विनोद कुमार	परिवादी एवं चश्मदीद गवाह
पी0डब्ल्यू 02	जोगेंद्र	चश्मदीद गवाह

पी0डब्ल्यू 03	सुंदरलाल	चश्मदीद गवाह
पी0डब्ल्यू 04	ओमप्रकाश	पुलिस गवाह व अनुसंधानकर्ता

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्श पी–01	पुलिस रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी–02	चाक एफआईआर
03	प्रदर्श पी–03	घटनास्थल का नक्शा मौका
04	प्रदर्श पी–04	पुलिस बयान जोगेंद्र
05	प्रदर्श पी–05	पुलिस बयान सुंदरलाल

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
01		

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
	––	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
	––	

–:: <u>निर्णय</u> ::– दिनांक 19 मार्च 2026

01. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 01.01.2019 को परिवादी विनोद पुत्र प्रभुदयाल धानक, निवास शिमला खेतडी जिला झुन्झुनूं राज0 ने पुलिस थाना खेतड़ी में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की किदिनांक 31.12.2018 की समय लगभग 2 बजे की है। प्रार्थी अपने घर आ रहा था। तब लालचंद, बाला देवी पत्नी लालचंद रमेश पुत्र लालचंद सावीत्री पत्नी रमेश, जयपाल पुत्र लालचंद, मन्जित पुत्र लालचंद समस्त जाति धानक निवासी ग्राम शिमला एक राय लेकर हाथों में लाठियां लेकर प्रार्थी का रास्ता रोक लिया और आपसी रंजिश के चलते प्रार्थी के साथ लाठियें से गीीर मारपीट की और मुंह पर लाठी से चोट पहुचाकर मेरे दो दांत तोड़ दिये जिससे खून बह रहा है और होठों पर पीठ में व दोनों पैरों में भी चोटें आई है। तब हो हल्ला होने पर आसपास के लोगों ने घटनास्थल पर आकर मुझे छुड़ाया और जाते वक्त ये लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी देकर गए हैं इत्यादि।

02. उक्त प्रार्थना पत्र पर पुलिस थाना खेतडी द्वारा एफ आई आर नंबर 02/2019 अन्तर्गत धारा 323, 341, 143 भा.द.स दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद अनुसंधान थानाधिकारी द्वारा अभियुक्तगण लालचंद, बाला देवी के विरूद्ध जुर्म धारा 323, 341, 325/34 भारतीय दंड संहिता के

अपराध का आरोप प्रमाणित मानते हुए न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खेतड़ी में आरोप पत्र पेश किया। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर अभियुक्तगण लालचंद, बाला देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 325/34 भारतीय दंड संहिता का आरोप सारांश सुनाया गया, जिसे सुन–समझकर अभियुक्तगण ने जुर्म से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

04. तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक 1337 दिनांक 17.02.2021 की पालना में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतडी से अंतरित होकर दिनांक 23.02.2021 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई एवं प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये **मौखिक साक्ष्य** में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय में वर्णित दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

04. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को धारा 323, 341, 325/34 दण्ड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया। जिस पर उन्होंने स्वयं के विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत बताया व स्वयं के निर्दोष होने व झूठा फंसाये जाने का कथन किया। साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई।

05. बहस उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस सहायक अभियोजन अधिकारी का तर्क है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

06. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क है कि स्वतंत्र गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। परिवादी द्वारा रंजिशवश झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। परिवादी की चोट मैच नहीं हो रही है। डॉक्टर परीक्षित नहीं है। परिवादी द्वारा भिन्न–भिन्न अवसर पर भिन्न–भिन्न कथन किए हैं। एफआईआर में अभियुक्त के लड़कों द्वारा मारपीट करना कथन किया है तथा 325 की चोट उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा

करना कथन किया है, लेकिन आईओ द्वारा उनको मुलजिम ही नहीं माना है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जावे।

07. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदू यह है कि :–

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 31.12.2018 को समय दोपहर के करीब 2.00 पीएम पर मौजा शिमला में परिवादी विनोद कुमार को उसकी इच्छित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया तथा परिवादी विनोद कुमार के साथ कुंद हथियारो से स्वेच्छया मारपीट कर साधारण व गंभीर चोट कारित की ?

(2) यदि हां तो उचित दण्ड क्या होगा ?

08. प्रश्नगत आरोप के बाबत अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 04 गवाहो को परीक्षित करवाया गया है। इस संबंध में गवाह पी0डब्ल्यू 01 विनोद कुमार ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 31.12.18 को दोपहर के दो बजे की बात है, मैं माता के मंदिर में दाने डालकर सब्जी लेकर खेत से घर की तरफ आ रहा था तब शीतला माता मंदिर के पास जयपाल, मंजीत मिले, मैंने इनसे कहा कि आपकी बकरियां आस–पास के खेत में घुस रही हैं। तब मंजीत व जयपाल ने मेरे पीछे से लकडी की सिर पर मारी, मेरे मुंह पर मारी जिस कारण मेरे दांतों पर चोट आई। सामने से लालचंद व उसकी पत्नी बालादेवी आ रहे थे, इन्होंने भी मेरे साथ मारपीट की। मेरे मुंह से खून आने लगा, मैं नीचे गिर गया। मैं चिल्लाया तो वहां पर सुंदरलाल पुत्र किशोरीलाल व जोगेंद्र आये और इन्होंने बीच बचाव कराया। मैंने थाना खेतडी नगर में रिपोर्ट प्रदर्श पी01 दी थी, चाक एफ आई आर प्रदर्श पी02 है, नक्शा मौका प्रदर्श पी03 है जिन पर ए से बी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह द्वारा कथन किया गया है कि मैं थाने पर घटना के दिन ही घटना के करीब एक–डेढ घंटे बात पहुंचा था, वहां से मुझे अस्पताल भेज दिया था। मेरी रिपोर्ट घ ाटना के दिन दर्ज नहीं हुई, दूसरे दिन दर्ज हुई थी। रिपोर्ट मेरी कलमी है। घटना के समय सुंदरलाल, जोगेंद्र घटनास्थल पर पहुंच गये थे। सुंदरलाल मेरा पडोसी है जो मेरे ताउ का लडका है, जोगेंद्र डोसी

गांव का है। मैं जोगेंद्र को पहले से नहीं जानता था। जोगेंद्र बैंक के काम से आया हुआ था। यह कहना सही है कि घटनास्थल के पास जोगेंद्र का खेत व मकान नहीं है। मेरे शरीर पर कुल कितनी चोटें आई थी, मुझे आज उनकी संख्या याद नहीं। लालचंद की मेरे से पहले से ही रंजिश थी। इनका व हमारा रास्ते का विवाद है, रास्ते को लेकर के कोई दावा नहीं चल रहा।

09. इसी प्रकार गवाह पी0डब्ल्यू 02 जोगेंद्र ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मैं गैस एजेंसी पर गाड़ी नहीं चलाता था ना ही शिमला गैस एजेंसी पर काम करता था। मैंने कोई लड़ाई–झगड़ा होते नहीं देखा।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह द्वारा कथन किया गया है कि मैं लालचंद व उसकी पत्नी बालदेवी, विनोद व सुमन को जानता हूं। ना तो लालचंद ना ही विनोद मेरे कुछ लगते हैं। पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का हिस्सा ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इंकार किया। उपरोक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

10. इसी प्रकार गवाह पी0डब्ल्यू 03 सुंदरलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरे सामने कोई बातचीत नहीं हुई ना ही मेरे सामने मारपीट हुई। मैं नहीं बता सकता कि कौन–किसके साथ कहां पर मारपीट कर रहा था। मारपीट के समय के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं। प्रदर्श 03 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 03 के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं मैने तो केवल इस पर हस्ताक्षर किये थे।

दौराने जिरह सहायक अभियोजन अधिकारी में गवाह द्वारा कथन किया गया है कि मेरे पुलिस में बयान नहीं हुये। पुलिस बयान प्रदर्श पी 05 का हिस्सा ए से बी गवाह को पढ़कर सुनाया तो गवाह ने ऐसा बयान पुलिस को देने से इंकार किया। यह कहना गलत है कि लालचंद, उसकी पत्नी बालादेवी ने विनोद के साथ मारपीट की हो। उपरोक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ।

11. इसी प्रकार गवाह पी0डब्ल्यू 04 ओमप्रकाश ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 01.01.2019 को मैं चौकी मेहाड़ा थाना खेतड़ी में एच सी के पद पर तैनात था। उस रोज परिवादीगण विनोद कुमार व सुमन ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 थानाधिकारी

विक्रम सिंह के समक्ष पेश की, जिसकी पुश्त पर सी से डी स्थान पर कार्यवाही पुलिस अंकित की गई। ई से एफ थानाधिकारी विक्रम सिंह के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है जिस पर सी से डी थानाधिकारी विक्रम सिंह के हस्ताक्षर है। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने उक्त प्रकरण का अनुसंधान मेरे जिम्मे किया। मैंने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–03 बनाया था, जिस पर ई से एफ मेरे हस्ताक्षर है। मैंने गवाह विनोद कुमार, सुदंर लाल, जोगेन्द्र, दयानंद के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। मैंने मजरूब विनोद कुमार का चोट प्रतिवेदन मय एक्स–रे रिपोर्ट व प्लेट शामिल पत्रावली किये। बाद अनुसंधान मुलजिमान लालचंद व बाला देवी के विरुद्ध धारा 341, 323, 325/34 भादस प्रमाणित मानकर पत्रावली थानाधिकारी विक्रम सिंह को सुपुर्द की। जिन्होने आरोप पत्र पेश न्यायालय किया।

दौराने जिरह अभियुक्त में गवाह द्वारा कथन किया गया है कि घटनास्थल पर आलामात थे या नहीं मुझे ध्यान नही। घटनास्थल के आसपास में घटना को साबित करने के लिए कोई व्यक्ति मौके पर बनी थी। मेरी तफतीश में मारपीट का कारण लालचंद की बकरी लोगों के चणों की फसल में बढ़ते है, तो मै।ने लालचंद को बकरी बांधने के लिए कहा, इसी बात को लेकर मारपीट हुई। यह सही है कि नक्शा मौका में घटनास्थल के पास में चणों की कोई फसल नहीं होकर आसपास के खेतों में है। यह सही है कि घटनास्थल बणी है, घटनास्थल के पास खेत नहीं है, जिसमें चणों की फसल भी नहीं है।

15. अभियोजन पक्ष की आई साक्ष्य का अवलोकन करे तो हस्तगत प्रकरण में मुख्य प्रत्यक्षदर्शी गवाहान पीडब्ल्यू 02 जोगेंद्र सिंह, पीडब्ल्यू 03 सुदंरलाल है जो कि अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिनके द्वारा किसी प्रकार से मारपीट नहीं होना कथन किया है तथा कोई लडाई झगड़ा नहीं देखना कथन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्षदर्शी गवाह मात्र परिवादी पीडब्ल्यू 01 विनोद कुमार है जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मंजीत व जयपाल ने मेरे सिर पर लकड़ी की मारी एवं मेरे मुंह पर मारी जिससे मेरे दांत पर चोट आई। इस प्रकार से धारा 325 की चोट मंजीत एवं जयपाल द्वारा मारना उक्त परिवादी द्वारा कथन किया है।

किंतु अनुसंधान अधिकारी द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों को अभियुक्त ही नहीं माना तथा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कथन किया है कि सामने से अभियुक्तगण लालचंद एवं उसकी पत्नी बालादेवी आ रहे थे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की तथा उक्त गवाह द्वारा यह भी कथन किया है कि मारपीट से उसके मुंह में खून आने लगा। उक्त गवाह द्वारा अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि घटना के एक–डेढ़ घ ांटे बाद थाना पहुंच गया था। चूंकि परिवादी स्वयं एक पुलिस कर्मचारी है। थाने में उसके द्वारा की गई तहरीरी रिपोर्ट का अवलोकन करे तो उसकी पुश्त पर उसने यह उल्लेखित किया है कि मजरूब का मेडिकल मुआयना पूर्व में करवाया जा चुका है। किंतु मजरूब की आई चोट का तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 की पुश्त पर कोई अंकन नहीं है।

मजरूब के मुंह पर कोई चोट आई हो एवं उसका कोई इलाज चल रहा हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। घ ाटना के समय प्रत्यक्षदर्शी गवाह सुंदरलाल एवं जोगेंद्र का पहुंचना कथन किया है किंतु उपरोक्त दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। मजरूब के शरीर पर कुल कितनी चोट आई उसकी भी कोई संख्या याद नहीं होना उक्त गवाह द्वारा कथन किया है। पूर्व में रंजिश को लेकर विवाद होना गवाह द्वारा कथन किया है। गवाहों की चोटों के बाबत किसी डॉक्टर को परीक्षित नहीं करवाया गया है।

यहां तक कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी डॉक्टर का नाम साक्षी सूची में दर्शित नहीं किया है। मजरूब का दांत बीमारी के कारण टूटा है अथवा अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट से टूटा है, इस बाबत कोई संदेह से परे साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की गई हो, परिवादी के चोट आई हो ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है। एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह पीडब्ल्यू 01 विनोद कुमार की स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा कोई पुष्टि नहीं की गई है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी बरवक्त घटना जयपाल एवं मंजीत द्वारा मारपीट नहीं करना तथा घटना में सरीख नहीं होना माना है। इस प्रकार से पीडब्ल्यू 01 विनोद कुमार की साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुई है।

यद्यपि अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू 04 ओमप्रकाश द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका मुर्तिब करना, गवाह के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना, विनोद कुमार का चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली करना कथन किया है। किंतु उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह तथ्य स्वीकार किया है कि घटनास्थल के नक्शा मौका में घटनास्थल के पास में चणों की कोई फसल नहीं है तथा यह भी

स्वीकार किया है कि परिवादी पुलिस की नौकरी भी करता है। पूर्व में रंजिश होना परिवादी द्वारा स्वीकार किया है। लिहाजा इस प्रकार से यह तथ्य संदेह से परे साबित नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी के साथ मारपीट की हो, जिसके परिणामस्वरूप उसके दांत टूट गए हो।

16. लिहाजा उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण लालचंद व बालादेवी द्वारा मजरूब विनोद कुमार को उसकी इच्छानुसार दिशा में जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध कारित कर व उसके साथ कुंद हथियारों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहति कारित की। लिहाजा अभियुक्तगण लालचंद व बालादेवी को धारा 323, 341, 325/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::–आदेश–::

17. एतद्द्वारा अभियुक्तगण 1. श्री लालचंद पुत्र श्री रामनारायण उम्र 60 साल निवासी शिमला थाना खेतडी झुंझनु जिला झुन्झुनूं (राज0) 2. श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री लालचंद उम्र 50 साल निवासी शिमला थाना खेतडी जिला झुंझुनू राज. को आरोपित अपराध धारा 323, 341, 325/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(विनोद कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं

18. निर्णय आज दिनांक 19.03.2026 को हस्ताक्षरित कर विवृत्त न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(विनोद कुमार)

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खेतडी, जिला झुन्झुनूं